**राजस्थान सरकार**
**आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर**

क्रमांकः एफ.25(D)/लेखा/आ.का.शि./2023-24/71 दिनांक 27/02/2024

प्राचार्य/सहायक निदेशक (समस्त)
राजकीय महाविद्याय, राजस्थान।

विषयः– आन्तरिक जांच प्रतिवेदनों व भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना निरीक्षण विभाग को प्रेषित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत दिनांक 27.02.2024 को प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित ऑडिट समिति मीटिंग में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में लेख है कि कतिपय महाविद्यालयों/कार्यालयों ने उक्त प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना, निरीक्षण विभाग को प्रेषित नहीं की है।

जबकि नियमानुसार प्रथम अनुपालना एक माह के भीतर निरीक्षण विभाग को भिजवाते हुए आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा को अवगत करवाया जाना चाहिए था।

अतः ऐसे महाविद्यालय/कार्यालय जिनके द्वारा प्रथम अनुपालना प्रेषित किया जाना बकाया है, अविलम्ब प्रथम अनुपालना निरीक्षण विभाग को प्रेषित कर आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

**इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।**

(हस्ताक्षर) 27.02.24
मुख्य लेखाधिकारी
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर

क्रमांकः एफ.25(D)/लेखा/आ.का.शि./2023-24/72 दिनांक 27/02/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रभारी अधिकारी, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(हस्ताक्षर) 27.02.24
मुख्य लेखाधिकारी
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर